॥ श्री गणेशाय नमः ॥

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AA 115121

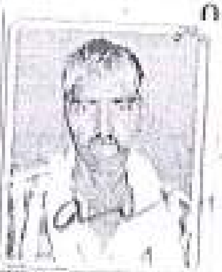

1. भूमि का प्रकार --- कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम...मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.825 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :--कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 1888000 / --रूपये
8. स्टाम्प. हेतु मालियत 1888000 / --रूपये
9. स्टाम्प देय मुक्त
10. सरकारी दर भूमि 600000/---रूपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 क्रमांक पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा--प्रथम

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

बच्चूसिंह व कप्तानसिंह पत्रगण श्री नारायनसिंह निवासीगण ग्राम जैत तहसील व जिला मथुरा

70

8/2/07 ... 41

सनसिटी हाइटेक प्रोजेक्ट प्रा० लि०

गोवर्धन रोड वृन्दावन मथुरा   कपिलदेव उपा० पुत्र श्री कृष्ण बिहारी

05 FEB 2007

विक्रय पत्र

1,888,000.00/	1,888,000.00	5,000.00	20	5,020.00	1,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री /श्रीमती बच्चू सिंह
पुत्र / पत्नी श्री नारायन सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी जैत मथुरा
अस्थायी पता जैत मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय ... 15/2/2007 ...
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
15/2/2007

विक्रेता

श्री/श्रीमती ... सिंह
पुत्र/पत्नी श्री ... सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा

क्रेता
श्री/श्रीमती सनसिटी हाईटेक प्रो0प्रा0लि0 द्वारा
कपिलदेव उपाध्याय
पुत्र/पत्नी श्री कृ0बिहारी उपाध्याय
पेशा व्यापार
निवासी गोवर्धन गेट मथुरा

श्री/श्रीमती कप्तान सिंह
पुत्र/पत्नी श्री नारायन सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा

नेत्र

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु.5 | Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 04AA 115122

(2)

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा०लि० जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

हमकि बच्चूसिंह व कप्तानसिंह पत्रगण श्री नारायनसिंह निवासीगण ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा के है।।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी आकार पत्र 23 के अनुसार चक संख्या–1313 व गाटा संख्या –398 रकवा 0.011 है0 व गाटा संख्या–405 रकवा 0.402 हैक्टेयर कुल दो किता रकवा 0.413 हैक्टेयर लगानी 9.15 रूप्या सालाना व चक संख्या–1312 व गाटा संख्या–398 रकवा 0.008 हैक्टेयर व गाटा नंबर–405 रकवा 0.404 हैक्टेयर कुल दो किता रकवा 0.412 हैक्टेयर सालाना लगानी 9.15 रूपया सालाना दोनों चको का कुल रकवा 0.825 हैक्टेयर स्थित मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता

कृष्ण कुमार स्टाम्प विक्रेता

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मेघसिंह
पुत्र श्री नत्थी सिंह
पेशा व्यापार
निवासी सुनरख मथुरा
व श्री श्यामबाबू
पुत्र श्री बांकेलाल
पेशा व्यापार
निवासी गोधूलिपुरम वृन्दावन मथुरा
ने की ।

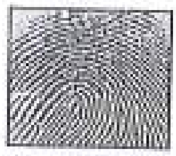

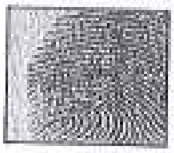

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
15/2/2007

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु. 5 Rs. 5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AA 115123

(3)

का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतया: मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा बै अलावा केता के अन्य किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेतो के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रुपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि अपने सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारो सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विक्रेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 1888000/-अठारह लाख अठासी हजार रुपये जिसके आधे 944000/-नौ

क्रेता

Registration No. 2058 Year : 2007 Book No. 1

0201 सनसिटी हाईटेक प्रा0लि0 द्वारा कपिलदेव उपाध्याय
पैसबिहारी उपाध्याय
गोवर्धन गेट मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AA 115124

लाख चवालीस हजार रूपये होते हैं। बहक सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा०लि० जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लेस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य का कुल रूपया खरीदार से 550000/–रूपये ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स छटीकरा मथुरा शाखा के दो किता चैक संख्या–389067 व 389068 दोनों दिनांक–12.1.2007 द्वारा पहले पाये व 669000/–रूपया एच०डी०एफ०सी० बैंक के चैक संख्या–198688 व 669000/–रूपये इसी बैंक के चैक संख्या–198689 दोनों दिनांक–15.2.2007 के द्वारा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार करें बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बाबत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जवाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हर[illegible]सूल

[illegible] 44
[illegible]
कृष्ण कुमार स्टाम्प विक्रेता
[illegible]

विक्रेता

Registration No 2058 Year : 2007 Book No.

0101 बच्चू सिंह

नारायन सिंह

पैंत मथुरा

कृषि

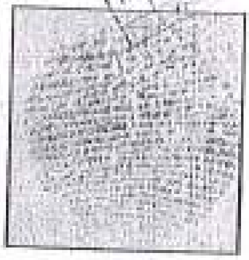

0102 कप्तान सिंह

नारायन सिंह

पैंत मथुरा

कृषि

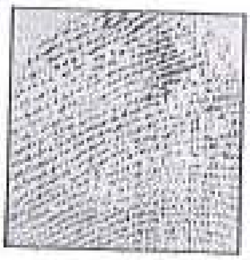

करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं0 6087 / 8आ–1–2003–04 दिनांक–22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5–2916 / ग्यारह–2004–2004–600 (87)–2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5–3497 / 11–2005–500(83)–2005 दिनांक–9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक–15.2.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा
ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

आज दिनांक 15/02/2007 को

वही सं 1 जिल्द सं 4152

पृष्ठ सं. 69 से 78 पर क्रमांक 2058

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

15/2/2007